न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

1– प्रकरण संख्या 59/2017 (उदयपुर आर्डर)

1. श्रीमती पार्वती बाई बेवा तेजा जी जोगी निवासी खेरवाड़ा (छावनी) तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)

...............अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मणीलाल पिता शंकर मीणा निवासी कलालिया खेरवाड़ा (खालसा) तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती आशा पत्नी मणीलाल मीणा निवासी कलालिया खेरवाड़ा (खालसा) तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)
3. सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा जिला उदयपुर

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

2–प्रकरण संख्या 3/2018 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री मणीलाल पिता श्री शंकरलाल जी मीणा निवासी कलालिया खेरवाड़ा (खालसा) तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती आशा पत्नी श्री मणीलाल मीणा निवासी कलालिया खेरवाड़ा (खालसा) तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)

बनाम

1. श्रीमती पार्वती बाई पत्नी तेजा जी जोगी निवासी खेरवाड़ा छावणी तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा जिला उदयपुर

दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला
कलेक्टर उदयपुर दिनांक 28–8–2017
प्रकरण संख्या 8/2015

उपस्थित :—1— श्री आशिष देवडिया / श्री खेमराज डांगी अभि. अपीलान्ट्स

2— श्री औंकारलाल डांगी / आशिष देवडिया अभि.रेस्पोन्डेन्ट्स

निर्णय **दिनांक 16—10—2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में पार्वतीबाई प्रार्थिया द्वारा मणीलाल एवं आशा (आवंटीगण) तथा सरकार के विरूद्ध नियम—14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेरवाड़ा (खालसा) की आराजी नंबर 729, 730 कूल किता—2 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि का आवंटन विपक्षी नंबर 1 व 2 को दिनांक 6—2—2013 को नियम विरूद्ध किया गया है। उद्घोषणा जारी नहीं होकर प्रकाशित नहीं हुई है। इस भूमि पर आवेदक प्रार्थी का कब्जा होकर उनकी भूमियों से मिली हुई है तथा उन्होंने इस भूमि का आबादान किया है व वृक्ष लगाये है। पटवारी हल्का ने त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट की है तथा प्रार्थिया को बेदखल किये बिना मिली—भगत से आवंटन किया गया है। विपक्षी को कब्जा नहीं सौंपा गया है तथा वह भूमिहीन काश्तकार भी नहीं है। प्रार्थिया नियमन की पात्रता रखती है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार खेरवाड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की, जिसके अनुसार आवेदिका का कब्जा काफी समय से होना व उसके द्वारा फसल काश्त किया जाना विवादित आराजीयात पर बताया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन विधिवत हुआ है तथा उद्घोषणा जारी होकर प्रकाशित हुई है। प्रार्थिया का कब्जा नहीं है। आवंटन विधिवत है। प्रकरण में प्रार्थिया की और से गौतम व पूरीचन्द द्वारा शपथ पत्र भी पेश किये गये।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 3—10—2016 को तहसीलदार खेरवाड़ा से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट तलब की :—

1. आवंटन पत्रावली संख्या 68 / 2013 में पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के उपरान्त विपक्षी श्री मणीलाल पिता शंकरलाल को आवंटन किया गया है एवं कब्जा सुपुर्दगीनामा पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर मौजुद है, जबकि आप द्वारा संदर्भित पत्र से प्रेषित मौका रिपोर्ट में उक्त आवंटित

आराजीयात पर प्रार्थीया श्रीमती पार्वतिबाई का काफी पुराना कब्जा होना बताया है। उक्त दोनों ही रिपोर्ट में विरोधाभाष है, स्थिति स्पष्ट करावें।

2. यदि आवंटन के पूर्व विपक्षी आवंटी श्री मणीलाल का मौके पर कब्जा रहा हो तो कब्जे से संबंधित 91 की रसीदों की प्रतियां उपलब्ध करायी जावे एवं यदि आवंटन के पूर्व प्रार्थीया श्रीमती पार्वति का कब्जा था, तो किन आधारों पर श्री मणीलाल को भूमि का आवंटन किया गया है? प्रकरण में दोषी कार्मिक का नाम भी भिजवावें।
3. संदर्भित मौका रिपोर्ट प्रार्थीया श्रीमती पार्वति बाई को उपस्थिति में ही बनायी गई है एवं विपक्षी को अनुपस्थित बताया गया है। क्या इस संबंध में विपक्षी को उपस्थिति रहने बाबत कोई नोटिस जारी किया गया है? यदि हां तो प्रति उपलब्ध करावे।
4. आवंटन से 10 वर्ष पूर्व तक की निरन्तर जिंस गिरदावरी उपलब्ध करायी जावे।

तहसीलदार द्वारा दिनांक 27—10—2016 को बिन्दूवार निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की :—

1. यह कि ग्राम खेरवाड़ा खालसा के आराजी नंबर 729 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि मणीलाल पिता शंकर आशा पति मणीलाल के नाम गैर—खातेदार दर्ज रेकार्ड है, उक्त आराजी एवं क्षैत्रफल पर विरेन्द्र पिता तेजा पार्वतीबाई पत्नी स्व. तेजा द्वारा बाड़ लगाकर कृषि कार्य किया जा रहा है, आराजी नंबर 730 जिसका क्षैत्रफल 0.05 हैक्टर भूमि मणीलाल पिता शंकर, आशा पत्नी मणीलाल के नाम गैर—खातेदार रेकार्ड दर्ज है आराजी नंबर 730 रकबा 0.05 हैक्टर में आंशिक भाग विरेन्द्र पिता तेजा पार्वती पत्नी स्व. तेजा जोगी का कब्जा काश्त में है, जबकि आंशिक भाग सड़क के किनारे पड़त है।
2. बिन्दू संख्या—2 के सम्बन्ध में यह कि आवंटन के पूर्व विपक्षी आवंटी श्री मणीलाल का उक्त आराजीयात पर कब्जे के सम्बन्ध में पुष्टि रेकार्ड के आधार पर नहीं होती है और प्रार्थिया श्रीमती पार्वती का कब्जा उक्त आराजीयात पर आवंटन से पूर्व था तो इस सम्बन्ध में भी रेकार्ड के आधार पर पुष्टि नहीं होती है। वर्ष सम्वत् 2065, 2066, 2069, 2070 में उक्त आराजी नंबर 729 एवं 730 पर राकेश कुमार पिता शंकरलाल

मीणा के विरूद्ध राज. काश्त. अधिनियम 1955 की धारा–91 के तहत कार्यवाही की गई जिसकी नकल संलग्न है, उक्त राकेश कुमार विपक्षी आवंटी मणीलाल का भाई है। आवंटन पत्रावली प्रस्तुत करते समय एवं सुपुर्दगीनामा देते समय तत्कालीन पटवारी श्री सत्यनारायण डामोर हाल पटवार हल्का भाण्दा रहे।

3. बिन्दू संख्या–3 के सम्बन्ध में निवेदन है कि ग्राम खेरवाड़ा खालसा के आराजी नंबर 729 एवं 730 का मौका निरीक्षण बाबत् श्री नत्थीलाल शर्मा पटवारी हल्का बंजारिया द्वारा उभय पक्षकारान को लिखित रूप में सूचित न कर मौखिक। दूरभाष द्वारा सूचित करना अवगत कराया है।
4. बिन्दू संख्या –4 के सन्दर्भ में यह है कि आवंटन से 10 वर्ष पूर्व तक कि निरन्तर जिंस गिरदावरी की नकल प्रति संलग्न है।

अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 28–7–2017 से विपक्षी संख्या 1 व 2 को किये गये आवंटन को खारिज करते हुए भूमि को बिलानाम दर्ज करने के बाद इस भूमि पर कोई भी व्यक्ति कब्जे का प्रयत्न नहीं करने के निर्देश जारी किये।

अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 28–8–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थिया द्वाा अपील संख्या 59/2017 इस न्यायालय में दिनांक 16–10–2017 को प्रस्तुत की, इसी प्रकार आवंटी विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपील संख्या 3/2018 इस न्यायालय में दिंनाक 2–1–2018 को पेश की।

अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 8/2015 के विरूद्ध वादकरण से संबंधित उभयपक्षकारान द्वारा दो क्रोस अपील संख्या 59/2017 तथा 3/2018 प्रस्तुत की गई है, जो समान पक्षकारान, समान विषयवस्तु व अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण से संबंधित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय व निस्तारण हम इस एक ही माध्यम से करना उचित समझते है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न रहे।

सर्व प्रथम हम अपील संख्या 59/2017 जो कि प्रार्थिया अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है उस पर विवेचन करना उचित समझते है। प्रार्थिया द्वारा पेश शुदा इस अपील के सम्बन्ध में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2

आवंटी की और से अधिवक्ता आशिष दोवडिया तथा सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अपील संख्या 59/2017 पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होना बताकर अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि विवादित भूमियों पर प्रार्थिया का कब्जा होना प्रमाणित था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी व्यक्ति को कब्जे को दूबारा प्रयत्न न करने का निर्देश दिये जाना अधिकार से परे है तथा अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानने का निर्णय भी त्रुटिपूर्ण है। आवंटी ने पटवारी हल्का से मिली–भगत कर राकेशकुमार का त्रुटिपूर्ण कब्जा दर्ज करवाया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में संशोधन कर तहसीलदार खेरवाड़ा को दिये निर्देशों को संशोधित करवाये जाये।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में निम्नानुसार विवेचन किया है :–

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खेरवाड़ा खालसा की आराजी संख्या 729 रकबा 0.10 हैक्टर एवं 730 रकबा 0.05 हैक्टर कूल किता–2 रकबा 0.1500 हैक्टर भूमि का विपक्षी संख्या–1 श्री मणीलाल पिता शंकर मीणा एवं विपक्षी संख्या 2 आशा पत्नी मणीलाल मीणा के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 06–02–2013 को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा **तहसीलदार खेरवाड़ा को निर्देश दिये जाते है कि भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने के उपरान्त उक्त भूमि पर कोई भी व्यक्ति कब्जे का दुबारा प्रयत्न न करे।**

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय में हम यह पाते है कि जब अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त दोनों रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट प्रार्थिया का कब्जा प्रमाणित है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित किया जाना

कि भूमि को बिलानाम दर्ज करने के बाद उक्त भूमि पर कोई भी कब्जा करने का दूबारा प्रयत्न नहीं करें त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान भू–आवंटन नियम काबिज व्यक्ति को विधिक प्रक्रिया अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त अपीलाधीन आदेश में निर्देश त्रुटिपूर्ण है, वहीं अपीलान्ट का यह कथन कि अतिक्रमी के रूप में उसे काबिज रहने दिया जाय, यह भी उचित नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्देश जो अधिनस्थ न्यायालय यने अपने निर्णय दिनांक 28–8–2017 में निम्नानुसार वर्णित किये है :– **"तहसीलदार खेरवाड़ा को निर्देश दिये जाते है कि भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने के उपरान्त उक्त भूमि पर कोई भी व्यक्ति कब्जे का दुबारा प्रयत्न न करें"** संशोधित कर निम्नानुसार अंकन किया जाये – तहसीलदार खेरवाड़ा को निर्देश दिये जाते है कि भूमि को बिलानाम दर्ज करने के उपरान्त काबि व्यक्ति को विधिक प्रक्रिया अपना कर बेदखल किया जाय।

उपरोक्तानुसार अपील संख्या 59/2017 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

अब हम प्रकरण में क्रोस अपील 3/2018 पर विवेचन करना उचित समझते है।

अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28–8–2017 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 2–1–2018 को पेश की है। अपील के लिए निर्धारित मयाद 27–10–2017 होती है, जबकि यह अपील करीब 2 माह 5 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा उक्त विलम्ब हेतु दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि अपीलान्ट ग्रामीण, अनपढ़ एंव अशिक्षित व्यक्ति है। उन्होंने नकल के लिए दिनांक 5–2–2017 को आवेदन पेश किया तथा नकल प्राप्त होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की है।

हमारे द्वारा उक्त मयाद आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 28–8–2017 को अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया है एवं

आश्चर्यजनक रूप से अपीलान्ट अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के अधिवक्ता रहे है। तद्नुसार दिनांक 28–8–2017 के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को निर्णय दिनांक से ही होना पूर्णतया अभिव्यक्त रूप से प्रमाणित है।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से यदि अपीलान्ट रूष्ट थे, तो उनके द्वारा निर्णय के 3 माह से भी ज्यादा समय बाद दिनांक 5–2–2017 को नकल के लिए मयाद बाहर जाकर आवेदन क्यों पेश किया तथा हस्ब रेकार्ड 5–2–2017 को आदेश करने के बाद नकल दिनांक 7–12–2917 को तैयार होकर दिनांक 11–12–2017 को अपीलान्ट को दी जा चुकी है। दिनांक 11–12–2017 को नकल मिलने के बाद भी 21 दिन बार यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रकरण में जानबुझ कर विलम्ब से आवेदन किया तथा नकल प्राप्त होने के बाद भी युक्तियुक्त अवधि में अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए कोई सारभूत प्रयास नहीं किये। अपीलान्ट द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने के अपने आवेदन में जो आधार लिए है वे न तो उचित है न ही पर्याप्त, बल्कि वे स्वेच्छापूर्ण मयाद अवधि को जो कि विधिक होते है तथा न्यायिक प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं पक्षकारो ंको न्याय दिया जा सकता है, जो जागृत हो तथा अपने अधिकारों के प्रति सजग हो।

अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये आधार कण्डोन किये जाने के आवेदन में दिये गये आधार उचित व पर्याप्त नहीं होने से अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है।

उपरोक्तानुसार अपील संख्या 59/2017 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपील संख्या 3/2018 बेरून मयाद होने से खारिज की जाती है। निर्णय की एक–प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16–10–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर